

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण


सुखाराम

वनाम

रामप्यारी वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 120/2020

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
23.03.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी गैर हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 24.09.2020 से तलवी हेतु न्यायालय में तलवी स्तर पर विचाराधीन है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी को पूर्व में अनेक अवसर दिये गये थे परन्तु वकील प्रार्थी ने साविका आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। ना ही आज वकील प्रार्थी उपस्थित न्यायालय हुये है।</p> <p>अतः प्रार्थी अधीन धारा 212 एक्ट 1955 वावजूद हिदायत प्रतिवादीगण की तामील किये जाने संबंधी पर भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश-9 नियम-5 एवं वावजूद सूचना गैर हाजिर रहने पर अदम हाजरी व अदम तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"> (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	